



Haryana Industrial Training Directorate,  
Headquarters: Chandigarh

सेवा मे,

1. निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ (लेखा शाखा)।
2. प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इंचार्ज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (म0) कैथल, (म0) कुरुक्षेत्र, (म0) चरखी दादरी, (म0) नारानगढ़ (अम्बाला), कुरुक्षेत्र, कैथल, पुण्डरी, नलवा, अम्बाला शहर, रोहतक, (म0) बहादुरगढ़, फरीदाबाद, (म0) फरीदाबाद, नारनौल, महम, बहादुरगढ़, नीसिंग, गुहला चीका, पेहवा, तरावड़ी, उंचाना खुर्द, साल्हावास, मातनहेल, पंचकूला, आसौदा (झज्जर), भापड़ौदा, राजलूगढ़ी, सढौरा, पुरखास, कथूरा, सीक पाथरी, मुण्डलाना, लौहारू, नौलथा, टांकड़ी, राखीशाहपुर, चौटाला, कलाली बलाली, (म0) कालका एट बिटना, मालड़ावास, सुजापुर (महेन्द्रगढ़), मौजाबाद, नाथुसरी चौपटा, उज्जीना (मेवात), (म0) आदमपुर, मारापुर (अम्बाला), फरमाना, पबनावा (कुरुक्षेत्र), (म0) भिवानी, फुटवीयर रिवाड़ी, असन्ध एट जयसिंहपुरा, बहल, उंचा गाव (फरीदाबाद), गुढ़ड़ा एट झज्जर, हसनगढ़।

यादि कमांक : ए सी/आडिट./ ACM/ 2012-13/228/Part -8/24/  
दिनांक :

Subject : Regarding outstanding paras.

उपरोक्त विषय पर प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा के पत्र कमांक एस.एस. II वैटिंग/लम्बित पैरा/2016-17/136 दिनांक 10.5.2016 तथा इस कार्यालय के पत्र एसी/आडिट./ACM/2012-13/228/Part -8/24/2766 दिनांक 8.7.2016 के संदर्भ में।

उक्त बारे आपको सूचित किया गया था कि प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.2016 तक जिन जिन संस्थानों से सम्बन्धित पैरे लम्बित है (सूचि संलग्न) उन्हें निर्देश दिये जाये कि वे अपने संस्थान से सम्बन्धित लम्बित पैरो के व्याख्याक्ति उत्तर 15 दिन के अन्दर-2 एनोटिडिट फार्म तैयार करते हुए, पूर्ण रिकार्ड व सांक्षकित दस्तावेजो सहित सीधे प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा को भेजते हुए प्रति इस निदेशालय को भी प्रेषित करे ताकि ए0सी0एम0 से पहले लम्बित पैरों की समीक्षा की जा सके। लेकिन आपकी तरफ से सम्बन्धित लम्बित पैरो के व्याख्याक्ति उत्तर पूर्ण रिकार्ड व सांक्षकित दस्तावेजो सहित प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि सम्बन्धित लम्बित पैरो के व्याख्याक्ति उत्तर पूर्ण रिकार्ड व सांक्षकित दस्तावेजो सहित सीधे प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा को भेजते हुए प्रति इस निदेशालय को भी प्रेषित करे ताकि ए0सी0एम0 से पहले लम्बित पैरों की समीक्षा की जा सके। उपरोक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना जाये।

उप-निदेशक (लेखा)/(आई.ए.ओ.)  
कृते: निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पू0 कमांक : ए सी/डी ए/ ACM/मिटिंग/2016/ 8421 दिनांक : 12/9/16

उपरोक्त की एक प्रति विभागीय साईट पर अप-लोड करने हेतू नोडल अधिकारी (वैबसाईट) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है। कृप्या कार्यवाही उपरान्त इस अनुभाग को भी सूचित कर देवें।

उप-निदेशक (लेखा)/(आई.ए.ओ.)  
कृते: निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।